न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –97 / 2016 (अपील)

GCMS No. 2016/00221

1. शम्भूदयाल आत्मज कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. कान्ही बाई पत्नि भैरूलाल जाति मेघवाल
2. दुर्गालाल आत्मज भैरूलाल जाति मेघवाल
3. भरतलाल आत्मज भैरूलाल जाति मेघवाल
4. सावित्री पुत्री भैरूलाल जाति मेघवाल

निवासीगण बुरनखेडी तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 14.05.2016 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी अन्तर्गत धारा 183–बी ,रा.का. अधि.

उपस्थित–

1. **श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलान्ट**

निर्णय

दिनांकः– 13.10.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में दिनांक 14.05.2016 को निर्णय पारित किया कि– "प्रार्थीगण की खाते की भूमि ग्राम भीमपुरा की ख.नं. 39 रकबा 1.62 हे0 में से 1 / 2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उक्त भूमि पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में बताया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के 1 / 2 हिस्से में दर्ज है । उक्त भूमि पर शम्भूलाल पुत्र कन्हैयालाल ब्रा0 निवासी भीमपुरा ने कब्जा काश्त कर रखी है । अतः इससे ज्ञात है कि अप्रार्थी द्वारा अविधिक नाजायज रूप से कब्जा काश्त कर रहा है । इसलिये विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है । पालना हेतु पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक को तहरीर जारी हो ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 16.06.2016 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 183 –बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है । माननीय अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट रूप से नारायणी बाई वल्द देवीलाल द्वारा उपस्थित होकर यह जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था कि उक्त विवादित भूमि नारायणी बाई स्वयं के खाते की भूमि है उक्त भूमि को अपीलांट को पांती काश्त पर दे रखी थी । नारायणी बाई द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्टगण को परिवारजनों से ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्राम भीमपुरा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित आराजी खाता संख्या 159 की ख0नं0 मिन

6 की रकबा 5 बीघा का दिनांक 29.6.2011 को क्रय किया गया था । इस प्रकार उक्त क्रयशुदा आराजी पर नारायणी बाई काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है और उक्त भूमि पर अपीलांट पांती काश्त पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील रिपोर्ट मंगाये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आर्डरशीट से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पत्रावली में नहीं मंगाई गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली में पक्षकारों को सूचित किये बिना दिनांक 14.5.2016 को शिविर न्याय आपके द्वार ग्राम गोयन्दा में ले जाकर मनमाने तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है, राजस्व शिविर में प्रकरण का निस्तारण राजीनामे के आधार पर दौनों पक्षों की उपस्थिति एवं राजीनामें के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है, यदि राजस्व शिविर में दौनों उभयपक्षों को सहमति के बिना एवं पक्षकारों की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । सहमति बाबत शिविर की पत्रावली पर दौनों पक्षकारों की उपस्थिति नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.5.2016 निरस्त फरमाया जावें एवं पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अशोक मीणा एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ, किन्तु दौराने बहस अनुपस्थित है, रेस्पोडेन्ट व वकील रेस्पोडेन्ट को रूक रूककर आवाजें लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं होने से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मेरे द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है, अपीलान्ट द्वारा तो नारायणी बाई द्वारा कंवरलाल, माधोलाल, पिसरान भैरूलाल एवं देवीलाल, दुर्गालाल, पिसरान उदालाल चमार निवासीगण भीमपुरा की भूमि खसरा नम्बर मि0 6 की रकबा 5 बीघा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी, में जरिये पांती पर काश्त की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने सुनवाई नारायणी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, किन्तु नारायणी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया ओर ना हीं नारायणी बाई को सुना गया है, यदि नारायणी बाई को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती । अर्थात रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.5.2016 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित की जावें ।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 14.05..2016 अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट 1955 के विरूद्व अन्दर मियाद पेश की गई है । अपीलान्ट को मुख्य कथन है कि उनका रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, उनके द्वारा नारायणी बाई की भूमि पर पांती में कब्जा काश्त किया हुआ है, नारायणी बाई को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया है । ऐसी स्थिति में यदि अधिनस्थ न्यायालय में नारायणी बाई द्वारा पक्षकार बनने के लिए दिनांक 6.11.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया ओर ना ही सुना गया। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से नारायणी बाई को सुना जाना आवश्यक है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. परिणामस्वरूप अपीलान्ट के कथन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में नारायणी बाई को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा मौके पर जांच कराई जाकर विधि अनुरूप नवीन निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

13/10/20

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा